शंभू दयाल / प्रकाशचन्द

(60)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 3820–दो / 14 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.7.16	प्रकरण आदेश हेतु पस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया। यह निगरानी नायब तहसीलदार बडोदा जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक /14–15/अ–27 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 1.11.14 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार करने एव नायब तहसीलदार बडौदा के आदेश दिनांक 1.11.14 पर विचार करने से परिलक्षित है कि अनावेदक ने नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत ग्राम बडौदा की सामिलाती भूमि कुल किता 9 के बटवारे की मांग की है। नायब तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान 1.11.14 को आवेदक एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं, जबकि नायब तहसीलदार ने अनावेदकगण को भेजे सूचना पत्र सही पता न होने से अदम तामील वापिस प्राप्त होने पर अंतिरिम आदेश से आवेदक को निर्देशित किया है कि वह सही पते के साथ तलवाना प्रस्तुत करें । इसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व मात्र अनावेदक शंभू दयाल ने यह निगरानी प्रस्तुत कर अधिकांश अनावेदक फौत हो जाने से नायब तहसीलदार प्रकरण एवं कार्यवाही निरस्त करने की	

क्रमशः

प्रार्थना की है।

3– उक्त के परिप्रेक्ष में वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक ने निगरानी प्रस्तुत कर जो मांग समक्ष में उठाई है वही मांग वह नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करके कार्यवाही करा सकता था और यह उपचार उसे नायब तहसीलदार के समक्ष प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक निगरानी प्रस्तुत कर बटवारा कार्यवाही होने में विलंब चाहता है, जिसके कारण प्रस्तुत निगरानी सारहीन है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है तथा नायब तहसीलदार तहसील बडौदा को निर्देश दिये जाते हैं कि वह बटवारा प्रकरण का निराकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर 6 माह की अवधि में कर देवें ।

सदस्य